न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/127/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/420

अपीलार्थी
श्री गोरधनलाल अग्रवाल,
नि0 442, लाजपत नगर, अलवर

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर

प्रवेश तिथि :: 28.09.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 01.11.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन–पत्र दिनांक: 18.06.2022 के माध्यम से जिला कलक्टर, अलवर को आवेदन प्रस्तुत कर संलग्न प्रा0पत्र दिनांक: 09.06.2022 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने/सूचना उपलब्ध कराने बाबत अनुरोध किया गया ।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा कार्यालय द्वारा पत्रांक: लो.सू. अ./अन्तरण/2022/1598–99 दिनांक: 24.06.22 के माध्यम से अपीलार्थी का मूल आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रत्यर्थी कार्यालय को अन्तरित किया गया।
5. अपीलार्थी के आक्षेप/कथनानुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा किसी प्रकार के विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांक: 16.09.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया, प्रत्यर्थी की ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही आदिनांक तक किसी प्रकार का जवाब नोटिस ही प्राप्त हुआ।
7. अतः **उक्त आलोक में अपील स्वीकार** की जाकर निस्तारित जाती है, साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक: 18.06.2022 में वांछित बिन्दुवार, सटीक सूचना उक्त निर्णयादेश प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में **नियमानुसार** अधिप्रमाणित व पूर्ण हस्ताक्षरित कर पंजीकृत–पत्र के जरिये अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में जवाब समय पर भिजवाया नहीं जाना अधिनियम की भावना, उद्देश्यों के प्रतिकूल है। अतः भविष्य में इस न्यायालय द्वारा अपील अन्तर्गत जारी नोटिस पर जवाब अतित्वरित भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. आज दिनांक: 01.11.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)